भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1585
उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा

1585. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तनाव की हाल की घटनाओं को देखते हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और विशेष रूप से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और ये उपाय कितने प्रभावी रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी योजनाओं का कोई हालिया आकलन किया है और यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) नई पहलों या मौजूदा कार्यक्रमों में संशोधनों का ब्यौरा क्या है और सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों का समाधान करने की कौन सी योजना बना रही है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और अपेक्षित परिणाम क्या रहेंगे?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। अपराधों की रोकथाम, हिरासत, पंजीकरण, जांच और अभियोजन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत सांप्रदायिक हिंसा/अशांति, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करना और लोगों को अपराध करने के लिए उकसाना आदि से निपटने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सभी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।

(ख) और (ग): भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करती है, जोकि एक सतत अभ्यास है।

*****